न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 116/2021

शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति नाथ निवासी मालबमोरी तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

......प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुंर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री विकास पोरवाल एवं श्री कुलदीप जाजू

दायरा दिनांकः 24.09.2021 निर्णय दिनांक : 19.04.2022

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के आराजी खाता संख्या 15 खसरा नं0 639 रकबा 0.03 है0, ख़सरा नं0 855 रकबा 2.84 है0, खसरा नं0 855/1128 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 856 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 864 रकबा 2.83 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.11 है0 वाके ग्राम मालबमोरी तहसील मांगरोल एवं आराजी खाता संख्या 14 खसरा नं. 1009 रकबा 1.19 है0, खसरा नं0 990 रकबा 0.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 है0 वाके ग्राम मालबमोरी तहसील मांगरोल में स्थित है। खाता संख्या 15 में वादी का नाम शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर शिवशंकर पुत्र जगन्नाथ दर्ज हो रहा है एवं खाता संख्या 14 में वादी का नाम शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर श्योजीशंकर पुत्र जगन्नाथ दर्ज हो रहा है जबकि वादी का वास्तविक नाम शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ है। जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में शिवशंकर पुत्र जगन्नाथ एवं श्योजीशंकर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदी में शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज हो रहा है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम शिवशंकर पुत्र जगन्नाथ एवं श्योजीशंकर पुत्र जगन्नाथ के स्थान शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 24.09.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/22/464 दिनांक 19.04.2022 अनुसार शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति नाथ को शिवशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति नाथ एवं श्योजीशंकर पुत्र जगन्नाथ जाति नाथ के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त तीनो नाम शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ जाति नाथ एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। अतः राजस्व

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज0)

Scanned by CamScanner

...र्ड में उक्त का नाम शिवशंकर पुत्र जगन्नाथ एवं श्योजीशंकर पुत्र जगन्नाथ के स्थान शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं एव दानमल पुत्र रामरतन जाति किराड निवासी माल बमोरी के आधार पर आराजी खाता संख्या 15 खसरा नं0 639 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 855 रकबा 2.84 है0, खसरा नं0 855/1128 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 856 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 864 रकबा 2.83 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 6.11 है0 वाके ग्राम मालबमोरी तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम शिवशंकर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर शिवशंकर उर्फ शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं आराजी खाता संख्या 14 खसरा नं. 1009 रकबा 1.19 है0, खसरा नं0 990 रकबा 0.97 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 है0 वाके ग्राम मालबमोरी तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम श्योजीशंकर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर श्योजीशंकर उर्फ शंकरलाल पुत्र जगन्नाथ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को प्रशासन गांव के संग केम्प मालबमोरी में मजमेआम सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राज०)
मांगरोल

Scanned by CamScanner